संख्या-04/2026/972/63-व०उ०-2026-09(एच)/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,

30प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 27अगस्त 2026**

विषय- मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के पत्र संख्या-25 /ह०क०-नियोजन/2026-27 दिनांक-08 अप्रैल 2026 एवं पत्र संख्या-240/ह०क०-नियोजन/2026-27 दिनांक-20 मई 2026 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया है, जोकि संलग्नक-01 पर है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त |

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त सहायक/उप आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोउद्योग, उत्तर प्रदेश |

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरभि सिंह)

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-01

विषय : मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश |

1-प्रस्तावना

हथकरघा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह ग्रामीण एवं अर्ध-ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग है, जिसमें 01 लाख से अधिक हथकरघा बुनकर परिवार निर्वहन कर रहे हैं। यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध एवं जीवंत पहलुओं में से एक है। कम पूँजी निवेश, विद्युत का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन, छोटे बैच में उत्पादन का लचीलापन तथा बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता आदि, हथकरघा क्षेत्र की विशेषताएं हैं। डिज़ाइनों की विशिष्टता एवं विशेषता, छोटे बैच में उत्पादन की क्षमता और पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र उत्पादन होने के कारण हथकरघा उत्पादों की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अत्यधिक मांग है। हथकरघा बुनकर असंगठित होने के कारण बड़े ऑर्डर की आपूर्ति में समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास संगठित उत्पादन प्रणाली नहीं होती। हथकरघा बुनकरों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और सुनिश्चित बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि बुनियादी ढाँचे का विकास, कौशल उन्नयन, डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास, तथा बाज़ार की मांग के अनुसार उत्पादन किए जाएँ, जिससे यह हथकरघा वस्त्र उद्योग, मशीन-निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। प्रतिस्पर्धा और मुक्त व्यापार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में हथकरघा बुनकरों को क्लस्टर में करके एक केंद्रित, संगठित एवं लचीली उत्पादन प्रणाली के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों हेतु एक नई योजना "मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना" प्रारम्भ की जा रही है।

(2) योजना के मुख्य उद्देश्य:-

a) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए क्लस्टर में एक संगठित एवं लचीली उत्पादन प्रणाली का विकास करना।

b) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।

c) हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाकर उनका कौशल उन्नयन करना।

d) डिजाइन एवं उत्पाद विकास करना।

e) हथकरघा बुनकरों को उनके वस्त्र उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाज़ार उपलब्ध कराना।

f) उत्तर प्रदेश के हथकरघा वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करना।

g) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को बेहतर पारिश्रमिक दिलाना।

(3) हथकरघा क्लस्टर :-

a) योजनान्तर्गत हथकरघा क्लस्टर का गठन :-

i. न्यूनतम 25 अथवा 25 से अधिक हथकरघा बुनकरों के समूह द्वारा एक हथकरघा क्लस्टर गठित किया जायेगा तथा गठित क्लस्टर को समिति अथवा इकाई अथवा फर्म के रूप में पंजीकृत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- समिति के रूप में क्लस्टर का पंजीकरण "सोसाइटी एक्ट-1860" के तहत सम्बन्धित निबन्धक कार्यालय से कराया जायेगा। **अथवा**
- बुनकर सहकारी समिति के रूप में क्लस्टर का पंजीकरण "उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम-1965" के तहत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के परिक्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कराया जायेगा। **अथवा**
- इकाई अथवा फर्म के रूप में क्लस्टर का पंजीकरण "उद्यम आधार पोर्टल" अथवा "मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट" पर कराया जायेगा।
- क्लस्टर के पंजीकरण हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ii. यदि कोई निजी इकाई योजनान्तर्गत हथकरघा क्लस्टर का विकास करना चाहती है, तो उस स्थिति में वह इकाई प्रदेश के 25 अथवा 25 से अधिक हथकरघा बुनकरों का समूह गठित करके अपनी इकाई का एक पृथक भाग बनाकर, उ0प्र0 में पंजीकृत करके, क्लस्टर के रूप में क्रियान्वित कर सकती है।

iii. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह योजनान्तर्गत हथकरघा क्लस्टर का विकास करने का इच्छुक हो, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति/समूह द्वारा उत्तर प्रदेश मे एक इकाई पंजीकृत कराते हुए, प्रदेश के 25 अथवा अधिक हथकरघा बुनकरों का समूह गठित कर क्लस्टर के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

iv. एक क्लस्टर में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सदस्य हथकरघा बुनकरों की अधिकतम संख्या 100 होगी।

b. हथकरघा क्लस्टर के बुनकर सदस्यों हेतु पात्रता की शर्तें :-

i. बुनकर सदस्य के पास हथकरघा बुनकर पहचान-पत्र हो, जो विभागीय वेब पोर्टल handloom.upsdc.gov.in पर बुनकर द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकेगा। बुनकर ई-पहचान-पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-4 के अनुसार होगा, जिसके कन्टेन्ट एवं डिजाइन में परिवर्तन समय-समय पर आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोउद्योग द्वारा किया जा सकेगा।

ii. आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार नं0 के साथ सम्बद्ध मोबाइल नम्बर सक्रिय हो।

iii. बुनकर सदस्यों के सक्रिय बैंक खाते हों।

iv. ऐसे बुनकर, जो पूर्व में (विगत 05 वर्षों में) "हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय" तथा "कार्यशाला निर्माण" हेतु वित्तीय सहायता से भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत लाभान्वित हो चुके हैं, उन बुनकरों को इस योजना में क्लस्टर के अन्तर्गत सम्मिलित तो किया जायेगा, परन्तु सम्बन्धित घटकों में वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

c. क्लस्टर की व्यवसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन एवं अभिलेखों का रख-रखाव:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

i. क्लस्टर की व्यवसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन एवं अभिलेखों का रख-रखाव क्लस्टर सचिव द्वारा किया जायेगा।

ii. यदि हथकरघा क्लस्टर का गठन प्रस्तर 3.a.ii अथवा 3.a.iii के अनुसार होता है, तो उस स्थिति में सम्बन्धित इकाई में से एक व्यक्ति को क्लस्टर सचिव के रूप में चयनित किया जायेगा तथा इकाई द्वारा अपने अन्य मानव संसाधन के साथ क्लस्टर सचिव की अध्यक्षता में क्लस्टर की व्यवसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन एवं अभिलेखों का रख-रखाव सम्पादित किया जायेगा।

(4) योजना अवधि एवं क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि :-

a) **योजना अवधि :-** योजनान्तर्गत नये क्लस्टरों को स्वीकृत करने हेतु योजना की अवधि 05 वर्ष होगी, जो योजना के प्रख्यापित होने की तिथि से 05 वर्ष तक होगी।

b) **क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि :-**

i. योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से क्लस्टर क्रियान्वयन की अवधि 05 वर्ष होगी। अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के सापेक्ष वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त के कोषागार से अवमुक्ति की तिथि से "क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि" प्रारम्भ होगी।

ii. जो क्लस्टर योजना अवधि में स्वीकृत होंगे, उन क्लस्टरों के सापेक्ष योजनान्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सहायता, योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात भी, क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि तक देय होगी।

(5) नोडल कार्यालय:-

सम्बन्धित परिक्षेत्रीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, हथकरघा का कार्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल कार्यालय होगा। नोडल कार्यालय के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे:-

a) योजना का प्रचार-प्रसार करना।

b) हैण्डलूम पॉकेटों को चिन्हित करते हुए हथकरघा क्लस्टर बनने की संभावनाओं की तलाश करना एवं निर्धारित प्रारूपों (अनुलग्नक-2'अ' व 2'ब') पर बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट तैयार करना।

c) तैयार बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट को परिक्षेत्र स्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके संस्तुति प्राप्त करना तथा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति से बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करना।

d) अनुमोदित बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डी0पी0आर0 निर्माण हेतु मुख्यालय से वित्तीय सहायता की मांग करना।

e) डी0पी0आर0 निर्माण हेतु निविदा के माध्यम से कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

f) चयनित कार्यदायी संस्था से डी0पी0आर0 निर्मित कराना एवं सक्षम समितियों से डी0पी0आर0 अनुमोदित कराना तथा अनुमोदित डी0पी0आर0 के आधार पर मुख्यालय से वित्तीय सहायता की मांग करना।

g) हथकरघा क्लस्टर से सम्बन्धित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करना।

h) हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता फर्म को चयनित करना।

i) योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के सापेक्ष लाभार्थी से बुनकर अंश सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म के बैंक खाते में जमा करवाना।

j) योजनान्तर्गत अवमुक्त वित्तीय सहायता का सदुपयोग सुनिश्चित करना।

(6) योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के घटक:-

a) योजनान्तर्गत गठित हथकरघा क्लस्टर की विभिन्न व्यवसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से क्लस्टर की परियोजना का क्रियान्वयन 05 वर्ष तक किया जायेगा। वित्तीय सहायता के मुख्य घटक एवं उपघटक का विवरण निम्नवत् हैं :-

(अ)	**योजना का प्रचार-प्रसार, रिपोर्ट का निर्माण, योजनान्तर्गत सलाहकारों की नियुक्ति तथा ऑनलाइन क्रियान्वयन**	
	अ-1	योजना का प्रचार-प्रसार एवं बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्माण
	अ-2	परियोजना रिपोर्ट का निर्माण
	अ-3	योजनान्तर्गत सलाहकारों की नियुक्ति
	अ-4	ऑनलाइन क्रियान्वयन
(ब)	**हथकरघा क्लस्टर हेतु वित्तीय सहायता- रू0 250 लाख प्रति क्लस्टर की अधिकतम सीमा तक**	
	ब-1	हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति
	ब-2	कार्यशाला निर्माण
	ब-3	क्लस्टर सचिव को पारिश्रमिक
	ब-4	डिजाइन विकास
	ब-5	मास्टर वीवर को पारिश्रमिक
	ब-6	उत्पाद विकास
	ब-7	प्रशिक्षण
	ब-8	एक्सपोजर विजिट
	ब-9	वस्त्र उत्पादों का प्रचार-प्रसार
	ब-10	कार्यालय अवसंरचना एवं रखरखाव

b) वित्तीय सहायता के माध्यम से चरणबद्ध विकास करके क्लस्टर को आत्मनिर्भर बनाना:-

वित्तीय सहायता के उपर्युक्त घटकों के माध्यम से हथकरघा क्लस्टर का चरणबद्ध विकास किया जायेगा, जिससे हथकरघा क्लस्टर को वित्तीय परिपक्वता तक पहुँचने, स्वतंत्र प्रबंधन क्षमता विकसित करने, क्रेताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और आत्मनिर्भर संचालन की ओर अग्रसर होने में सहायता प्राप्त होगी। क्लस्टर के चरणबद्ध विकास के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की देयता अवधि निम्नवत् होगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

i. **प्रथम चरण :-** क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि का प्रथम चरण 01 वर्ष में पूर्ण होगा। इस चरण के अन्तर्गत उप-घटक 'ब-1', 'ब-2' में अनुमन्य वित्तीय सहायता की देयता अवधि पूर्ण होगी।

ii. **द्वितीय चरण :-** क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि का द्वितीय चरण 03 वर्ष में पूर्ण होगा। इस चरण के अन्तर्गत उप-घटक 'ब-4', 'ब-5', 'ब-6', 'ब-7', 'ब-8', 'ब-9', 'ब-10' में अनुमन्य वित्तीय सहायता की देयता अवधि पूर्ण होगी।

iii. **तृतीय चरण :** क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि का तृतीय चरण 05 वर्ष में पूर्ण होगा। इस चरण के अन्तर्गत उप-घटक 'ब-3' में अनुमन्य वित्तीय सहायता की देयता अवधि पूर्ण होगी।

c) क्रियान्वयन अवधि के विभिन्न चरणों की प्रथम एवं अन्तिम तिथि का निर्धारण :-

i. किसी भी क्लस्टर की क्रियान्वयन अवधि के विभिन्न चरणों की प्रारम्भ होने की तिथि एवं समाप्त होने की तिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उस चरण से सम्बन्धित घटकों के क्रियान्वयन का प्रथम दिवस, उस घटक के अन्तर्गत प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से प्रारम्भ होगा।

ii. किसी भी हथकरघा क्लस्टर की वित्तीय एवं व्यवहारिक परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार उपर्युक्त चरणों की क्रियान्वयन अवधि की तिथियों में परिवर्तन "राज्य स्तरीय समिति" के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

(7) उप घटक- 'अ-1' ''योजना का प्रचार-प्रसार एवं बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्माण'':-

a) इस उपघटक के अंतर्गत रू0 50 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

b) प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों द्वारा मुख्यालय स्तर एवं परिक्षेत्र स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत योजना के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं लाभों की प्रभावी जानकारी बुनकरों को उपलब्ध करायी जायेगी।

c) परिक्षेत्र स्तर पर बुनकरों के मध्य योजना का प्रचार-प्रसार हथकरघा बुनकर क्षेत्रों में कैम्प लगाकर एवं अन्य माध्यमों से किया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप पर बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

d) बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में 25 अथवा 25 से अधिक हथकरघा बुनकरों का क्लस्टर गठित करके उसे इकाई/फर्म/समिति के रूप में पंजीकृत कराया जायेगा तथा पंजीकृत इकाई/फर्म/समिति द्वारा अनुमन्य वित्तीय सहायता हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-3) पर आवेदन-पत्र (वांछित दस्तावेजों सहित) सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र तैयार करने के सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यक सहयोग (handholding) प्रदान किया जायेगा।

(8) उप घटक-'अ-2' ''परियोजना रिपोर्ट का निर्माण'' :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

a) परियोजना रिपोर्ट के निर्माण हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र में एक कार्यदायी संस्था/फर्म का चयन जेम पोर्टल पर बिड के माध्यम से किया जायेगा जो उस परिक्षेत्र के समस्त क्लस्टरों की परियोजना रिपोर्ट का निर्माण करेगी।

b) यदि किसी परिक्षेत्र में कई क्लस्टरों की परियोजना रिपोर्ट एक ही समय पर निर्मित करने के कारण, डी0पी0आर0 के निर्माण में अधिक समय लग रहा है, तो उस स्थिति में उस परिक्षेत्र में एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जा सकता है।

c) यह कार्यदायी संस्था हथकरघा क्लस्टर हेतु SWOT एनालिसिस करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर) का निर्माण करेगी।

d) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्ट के अन्तर्गत अन्य प्रपत्रों के साथ निम्नलिखित प्रपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेंगे।

i. समिति/इकाई/फर्म के रूप में क्लस्टर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।

ii. क्लस्टर के बुनकर सदस्यों का हथकरघा बुनकर पहचान-पत्र ।

iii. क्लस्टर की बैंक पासबुक ।

iv. सदस्य बुनकरों के बैंक खाते की पासबुक ।

v. क्लस्टर के बुनकर सदस्यों की फैमिली आई0डी0 ।

e) कार्यदायी संस्था/फर्म को सेवा-शुल्क का भुगतान – कार्यदायी संस्था/फर्म के चयन हेतु जेम पोर्टल पर ई-बिड के माध्यम से प्रति क्लस्टर सेवा-शुल्क की दर का जो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारित होगा, उसका भुगतान इस उप घटक के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित परियोजना रिपोर्ट के राज्यस्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति से अनुमोदित होने के उपरान्त किया जायेगा।

(9) उप घटक-'अ-3' "सलाहकारों की नियुक्ति":-

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो (02) सेक्टर-विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति जेम पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक सेवा शुल्क के आधार पर की जायेगी ।

a) सेक्टर -विशेषज्ञ सलाहकार के कार्य-दायित्व:-

i- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी, क्षेत्रीय एवं रणनीतिक परामर्श प्रदान करना। साथ ही योजना के ऑनलाइन क्रियान्वयन हेतु परामर्श प्रदान करना।

ii- योजना की गतिविधियों की रूपरेखा, कार्य-योजना एवं क्रियान्वयन रणनीति के निर्माण में सहयोग देना।

iii- संचालित गतिविधियों की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।

iv- कार्यान्वयन के दौरान क्लस्टरों में उत्पन्न चुनौतियों की पहचान एवं समाधान हेतु क्लस्टर का समय-समय पर भ्रमण कर सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

v- संबंधित हितधारकों, एजेंसियों एवं इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

vi- आवश्यकतानुसार निविदा-प्रपत्रों का निर्माण, परीक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।

vii- आवश्यकतानुसार रिपोर्ट, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण उपलब्ध कराना।

viii- योजना के निर्धारित लक्ष्यों एवं अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

b) टेक्सटाइल सेक्टर विशेषज्ञ सलाहकार की योग्यता-

सलाहकारों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत होंगे-

i- शैक्षिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलय/संस्थान से टेक्सटाइल टेक्नोलाजी/टेक्सटाइल इंजिनियरिंग/ हथकरघा प्रौद्योगिकी अथवा वस्त्र क्षेत्र की किसी अन्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक/बी.ई. अथवा समकक्ष स्नातक उपाधि।

ii- अनुभव- हथकरघा/वस्त्र क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।

c) आई0टी0 सेक्टर विशेषज्ञ सलाहकार की योग्यता-

i- **शैक्षिक योग्यता:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/अथवा सूचना प्रौद्योगिकी की किसी अन्य विधा में बी.टेक./बी.ई./बी.एस./एम.सी.ए. अथवा समकक्ष उपाधि।

ii- **अनुभव:-** कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।

d) सेवा-प्रदाता फर्म से सलाहकारी सेवाएं प्राप्त करना- उपरिवर्णित योग्यताधारक सलाहकारों की सेवाएं, जेम पॉर्टल द्वारा चयनित फर्म से आउटसोर्स की जायेंगी। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि फर्म द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने सलाहकार उपरिवर्णित योग्यताधारक हों तथा प्रस्तर-10 (a) में वर्णित "सेक्टर-विशेषज्ञ सलाहकार के कार्य-दायित्व का निर्वहन करने हेतु व्यवहारिक ज्ञान भी हो।

e) सलाहकारी सेवाओं के सापेक्ष सेवा शुल्क का भुगतान-

सेवा प्रदाता फर्म के चयन हेतु जेम पोर्टल पर ई-बिड के माध्यम से सेवा शुल्क का जो प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य निर्धारित होगा, उसका भुगतान इस उप-घटक के अन्तर्गत देय होगा।

(10) उप घटक-'अ-4' ''योजना का ऑनलाइन क्रियान्वयन'' :-

a) योजना के प्रभावी एवं तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु वेबपोर्टल को विकसित कराकर योजना का ऑनलाइन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार वेबपोर्टल को संशोधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कराते हुए, वेबपोर्टल का अनुरक्षण कराया जायेगा। समुचित वेबपोर्टल के निर्माण हेतु सलाहकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

b) वेबपोर्टल के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त विविध व्ययों का भुगतान इस उप-घटक के अन्तर्गत किया जायेगा।

c) वेबपोर्टल का निर्माण : निक्सी (NICSI) / आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्राधिकृत संस्था से अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित अन्य सेवा प्रदाता संस्था / फर्म से वेबपोर्टल का निर्माण कराया जायेगा।

d) निक्सी (NICSI)/आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के सापेक्ष सेवा-शुल्क का भुगतान इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क के अनुसार देय होगा।

e) जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता संस्था से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के सापेक्ष सेवा-शुल्क का भुगतान, जेम पोर्टल पर ई-बिड प्रक्रिया द्वारा निर्धारित प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य के अनुसार देय होगा।

f) इस उपघटक के अंतर्गत रु.50.00 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी |

(11) उप घटक 'ब-1' हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति:-

इस घटक के अन्तर्गत क्लस्टर के प्रत्येक हथकरघा बुनकर को आवश्यकतानुसार हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता निम्नानुसार देय होगी :-

a) वास्तविक क्रय मूल्य अथवा अनुलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित क्रय मूल्य में से जो भी कम हो, की 90 प्रतिशत धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में देय होगी। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

b) योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के व्यय-भार को कम करने के लिए, अन्य योजनाओं के अन्तर्गत हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता से बुनकर को लाभान्वित कराया जायेगा। अन्य योजना से लाभान्वित होने की स्थिति में, इस घटक के अन्तर्गत परियोजना लागत का आगणन शून्य होगा।

c) हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय प्रचलित मानकों के आधार पर करने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जेम पोर्टल पर ई-बिड के माध्यम से किया जायेगा।

d) वित्तीय सहायता का आगणन विक्रेता फर्म से प्राप्त कर डी0पी0आर0 में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

e) अनुलग्नक-1 में निर्धारित क्रय मूल्य में परिवर्तन निदेशक के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) उप घटक 'ब-2' कार्यशाला निर्माण :-

इस घटक के अन्तर्गत क्लस्टर के सदस्य बुनकर को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर एक कार्यशाला निर्मित करने हेतु अधिकतम रू0 1,50,000/- प्रति बुनकर की दर से अनुदान देय होगा। कार्यशाला निर्माण हेतु शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी। इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उसी स्थिति में देय होगी, जबकि :-

a) कार्यशाला निर्माण हेतु आवश्यक भूमि लाभार्थी के नाम हो अथवा लाभार्थी के पति/पत्नी/पिता/ माता/पुत्र/पुत्री के नाम पर हो।

b) भूमि की रजिस्ट्री लाभार्थी के पति/पत्नी/पिता/माता/पुत्र/पुत्री के नाम पर होने की स्थिति में, भूमि-मालिक द्वारा अपनी भूमि पर कार्यशाला के निर्माण एवं संचालन हेतु लाभार्थी के पक्ष में भूमि दिये जाने का नोटरी शपथ-पत्र संलग्न किया जायेगा।

c) वित्तीय सहायता का आगणन एवं अभिलेख डी0पी0आर0 में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) उप घटक 'ब-3' क्लस्टर सचिव को पारिश्रमिक :-

हथकरघा क्लस्टर की वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं एकाउन्ट्स का रखरखाव क्लस्टर सचिव द्वारा किया जायेगा। हथकरघा क्लस्टर के आकार (बुनकर सदस्यों की संख्या), क्लस्टर की भौगोलिक संरचना तथा क्लस्टर की कार्यात्मक आवश्यकतानुसार प्रत्येक क्लस्टर में एक क्लस्टर सचिव अथवा दो/दो से अधिक क्लस्टरों हेतु, एक क्लस्टर सचिव का चयन सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा| कार्यक्षेत्र के अनुसार क्लस्टर सचिव की योग्यता एवं पारिश्रमिक निम्नवत् होंगे :-

a) **एकल क्लस्टर सचिव:-** एक ही क्लस्टर का कार्य सम्पादित करने हेतु एकल क्लस्टर सचिव को उसकी कार्य निष्पादन के अनुसार पारिश्रमिक निम्नवत् होगा :-

i. यदि क्लस्टर में बुनकरों की संख्या 25 है, तो क्लस्टर से सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव हेतु एकल क्लस्टर सचिव को रू0 30,000/- प्रति माह का पारिश्रमिक देय होगा।

ii. यदि क्लस्टर में बुनकर सदस्यों की संख्या 25 से अधिक है, तो पारिश्रमिक रू0 30,000/- प्रति माह के साथ, रू0 200/- प्रति अतिरिक्त बुनकर प्रति माह की दर से बोनस पारिश्रमिक देय होगा।

b) **बहु क्लस्टर सचिव :-** दो या दो से अधिक क्लस्टर का कार्य सम्पादित करने हेतु नियुक्त बहु क्लस्टर सचिव को कुल पारिश्रमिक के रूप में मूल पारिश्रमिक, बोनस पारिश्रमिक, अतिरिक्त क्लस्टर भत्ता निम्नानुसार देय होगा :-

i. मूल पारिश्रमिक - रू0 30,000/- प्रति माह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. बोनस पारिश्रमिक - रू0 200/- प्रति अतिरिक्त बुनकर प्रति माह (किसी भी क्लस्टर में 25 बुनकर सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त बुनकर अतिरिक्त बुनकर की श्रेणी में आगणित किये जायेंगे।)

c) क्लस्टर सचिव की योग्यता :-

i. शैक्षिक योगयता: एकाउन्टिंग विषय से इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा कम्प्यूटर पर एम०एस० वर्ड, एक्सेल एवं एकाउन्टिंग का सामान्य ज्ञान हो।

ii. अनुभव :- न्यूनतम 01 वर्ष ।

d) सेवा-प्रदाता फर्म से क्लस्टर सचिव की सेवाएं प्राप्त करना :

उपरिवर्णित योग्यताधारक क्लस्टर सचिवं की सेवाएं, जेम पोर्टल द्वारा चयनित फर्म से आउटसोर्स की जायेंगी। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले क्लस्टर सचिव उपरिवर्णित योग्यताधारक हों।

e) क्लस्टर सचिव की सेवाओं के सापेक्ष सेवा शुल्क का भुगतान :-

i. सेवा-प्रदाता फर्म के चयन हेतु जेम पोर्टल पर ई-बिड के माध्यम से सेवा शुल्क का जो प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य निर्धारित होगा, उसका भुगतान इस उप-घटक के अन्तर्गत देय होगा।

ii. यदि हथकरघा क्लस्टर का गठन प्रस्तर 3.a.ii अथवा 3.a.iii के अनुसार होता है, तो उस स्थिति में सम्बन्धित इकाई में क्लस्टर सचिव के कार्य निष्पादन हेतु प्रस्तर 13.d के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है और इकाई द्वारा स्वयं के सदस्यों में से भी चयन किया जा सकता है। इकाई द्वारा स्वयं के स्तर से क्लस्टर सचिव का चयन करने पर, क्लस्टर सचिव का परिश्रमिक इकाई द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(14) उप घटक 'ब-4' डिजाइन विकास:-

a) डिजाइन विकास की सेवाएं:-

i- क्लस्टरों में आधुनिक डिजाइन, उत्पाद विविधता, गुणवत्ता मानकीकरण का अभाव, घरेलू/निर्यात बाजारों से सीधा जुड़ाव न होना, बड़े आर्डर एवं ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की कमी आदि हथकरघा क्लस्टर की विभिन्न समस्याएं है। इस समस्याओं के समाधान हेतु "डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव" अथवा "डिजाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेन्सी/एक्सपोर्ट हाउस" की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी।

ii- यदि किसी परिक्षेत्र में क्लस्टरों की संख्या पाँच (05) से कम हो, तो उस परिक्षेत्र के लिए "डिज़ाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव" की सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

iii- यदि किसी परिक्षेत्र में क्लस्टरों की संख्या पाँच (05) अथवा उससे अधिक हो, तो "डिज़ाइन हाउस/ सोर्सिंग-बायिंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस" की सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी।

iv- क्लस्टरों की संख्या 05 से कम होने की स्थिति में भी यदि किसी "डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस" द्वारा सेवाओं हेतु अभिरूचि को अभिव्यक्त किया जाता है, तो उस स्थिति में "डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस" की सेवाएँ प्राप्त की जा सकेंगी।

v- यदि किसी परिक्षेत्र में पाँच (05) अथवा उससे अधिक क्लस्टर विकसित होने की संभावना न हो या क्लस्टर विकसित न हो पाएँ, तो संबंधित परिक्षेत्र के क्लस्टरों को समीपवर्ती परिक्षेत्रों के क्लस्टरों के साथ समाहित कर न्यूनतम पाँच (05) क्लस्टरों की शर्त पूर्ण की जाएगी।

vi- यदि उपर्युक्त व्यवस्था के अंतर्गत भी न्यूनतम पाँच (05) क्लस्टरों की शर्त पूर्ण करना संभव न हो, तो संबंधित परिक्षेत्र के समस्त क्लस्टरों को समीपवर्ती परिक्षेत्र में पूर्व से कार्यरत "डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस" के साथ लिंक करते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

b) "डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव"

i- कार्य एवं दायित्व- "डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे-

1- डिजाइन विकास-प्रति माह ग्राफ पेपर पर 05 नई डिजाइन विकसित करना। योजना के क्रियान्वयन हेतु विकसित ऑनलाइन डिजाइन लाइब्रेरी में विकसित डिजाइन को संग्रहीत करना।

2- मार्केटिंग एवं बिक्री-विकसित डिजाइन के अनुसार उत्पादित वस्त्रों के फोटो एवं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनकी मार्केटिंग करना तथा बिक्री हेतु प्रोडक्शन आर्डर प्राप्त करना।

ii - डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव को पारिश्रमिक का भुगतान- डिजाइनर-कम- मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव द्वारा संपादित सेवाओं के सापेक्ष पारिश्रमिक के भुगतान हेतु इस घटक के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि रू0 1,00,000.00 की सीमा तक प्रति माह अनुदान, कार्य निष्पादन के आधार पर देय होगा। "डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव" द्वारा संपादित कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता तथा क्लस्टर के कार्य सम्पादन की विभिन्न परिस्थितियों का "डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के कार्य सम्पादन पर प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा एस0ओ0पी0 निर्गत की जायेगी।

iii- डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव की योग्यता/चयन:- निफ्ट/एन0आई0डी0 अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण, जिसके पास न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, को क्लस्टर में डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के कार्य हेतु निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जायेगा। अधिक अनुभव को वरीयता दी जायेगी :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव का चयन जेम पोर्टल/ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से कार्यात्मक आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जायेगा।

अथवा

2- ऐसी संस्था/फर्म, जो बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर "डिजाइनर-कम मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव" की सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध हों, का चयन करके भी "डिजाइनर-कम मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव" की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

c) **डिजाइन हाउस, सोर्सिंग-बायिंग एजेन्सी, एक्सपोर्ट हाउस-**

i. डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास :-

1) बाज़ार प्रवृत्तियों के अनुरूप नए और प्रासंगिक डिज़ाइनों का विकास एवं प्रस्तुतीकरण।

2) उत्पाद-विविधीकरण हेतु नई उत्पाद श्रेणियों एवं वेरिएंट्स को विकसित एवं शामिल करना।

3) निर्धारित समयसीमा में प्रोटोटाइप/सैंपल तैयार कर उनकी समय पर स्वीकृति सुनिश्चित करना।

4) विकसित डिजाइन के अनुसार सैम्पल विकसित करके प्रोडक्शन आर्डर प्राप्त करना।

5) प्राप्त वर्क आर्डर के सापेक्ष गुणवत्ता के मानदण्ड सुनिश्चित करते हुए बुनकरों को मार्गदर्शन देकर कच्चा माल क्रय कराना, वस्त्र उत्पादन कराना एवं वर्क आर्डर देने वाली संस्था/फर्म को उत्पादित माल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना तथा आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान सुनिश्चित कराना।

ii.गुणवत्ता एवं आपूर्ति-श्रृंखला :-

1) गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादों का निर्माण एवं निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना।

2) पैकेजिंग एवं उत्पाद प्रस्तुति की गुणवत्ता को ग्राहक अपेक्षाओं के अनुसार बनाए रखना।

3) आपूर्ति-श्रृंखला का प्रभावी प्रबंधन करते हुए समय पर डिलीवरी एवं लागत दक्षता सुनिश्चित करना।

iii.बाज़ार संपर्क एवं बी-टू-बी समन्वय :-

1) खरीददारों, निर्माताओं तथा निर्यातक-क्लस्टरों के बीच प्रभावी व्यावसायिक समन्वय स्थापित करना।

2) निर्यात बाज़ारों से नए बी-टू-बी संपर्क/लीड्स विकसित करना एवं व्यावसायिक नेटवर्क का विस्तार करना।

3) बी-टू-बी बैठकों एवं संवादों को बिजनेस ऑर्डरों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

iv- डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड-निर्माण एवं बिक्री :-

1) डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ब्रांड की दृश्यता, बाज़ार पहुँच तथा व्यावसायिक पहचान को सुदृढ़ करना।

2) डिजिटल मार्केटिंग द्वारा संभावित ग्राहकों (लीड्स) का सृजन करना।

3) उत्पन्न लीड्स को सक्रिय रूप से फॉलो-अप कर उन्हें वास्तविक बिक्री एवं ऑर्डरों में परिवर्तित करना।

4) डिजिटल व बी-टू-बी चैनलों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बिक्री हेतु ऑर्डर प्राप्त करना एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना।

5) बड़े, मूल्यवान तथा दोहराए जाने वाले (repeat) ऑर्डरों को सक्षम करने हेतु ब्रांड की विश्वसनीयता, ग्राहक-संबंध एवं दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करना।

v- डिजाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेन्सी/एक्सपोर्ट हाउस का चयन:-

1) डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस का चयन की व्यवस्था संबंधित क्लस्टरों के विशिष्ट उत्पाद-प्रकार, उत्पादन परंपरा तथा लक्षित बाज़ारों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित तकनीकी, गुणवत्ता एवं बाज़ार-मानकों के आधार पर किया जायेगा।

2) डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस के चयन हेतु Expression of Interest (EoI) आमंत्रित की जाएगी। प्राप्त (EoI) के सापेक्ष डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्णय सभी आवेदकों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति की सदस्य संरचना निम्नवत् होगी :-

1	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	निदेशक, निफ्ट अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	निदेशक, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3) चयन के उपरांत, संबंधित परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चयनित डिज़ाइन हाउस/ सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस के साथ अनुबन्ध किया जाएगा, जिसमें सम्बन्धित क्लस्टर के सापेक्ष डिलीवरेबल्स, कार्य-समयसीमा, कार्य-क्षेत्र, कार्य-दायित्व, निष्पादन शर्तों एवं सेवा-शुल्क के भुगतान की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

4) यदि डिजाइन हाउस/सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस का चयन निविदा के माध्यम से करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थति में डिजाइनहाउस/सोर्सिंग बाईंग एजेन्सी/एक्सपोर्ट हाउस का चयन ई-टेण्डर पोर्टल/जेम पर ई-निविदा/ई-बिड के माध्यम से किया जायेगा।

5) सेवा-शुल्क के भुगतान की शर्तों को तैयार करने में यह शर्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जायेगी कि सेवा-शुल्क का भुगतान बिक्री टर्नओवर पर आधारित होगा, जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पादों के बिक्री टर्नओवर की 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक देय होगा एवं अनुमन्य वित्तीय सहायता की वार्षिक सीमा तक सीमित होगा। डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस के कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा एवं मूल्यांकन, परिक्षेत्रस्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा। यदि किसी संस्था का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिक्षेत्रस्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति एवं राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर, आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

vi. डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस की सेवाओं के सापेक्ष सेवा शुल्क का भुगतान-

डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बाईंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस द्वारा प्रत्येक क्लस्टर हेतु संपादित सेवाओं के सापेक्ष सेवा-शुल्क की धनराशि निम्नलिखित में से जो भी कम हो, देय होगी-

- विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पादों के अनुसार विक्री टर्न ओवर की 15 प्रतिशत धनराशि

अथवा

- रू0 01 लाख प्रति माह प्रति क्लस्टर

अथवा

- जेम पोर्टल अथवा ई-टेण्डर पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया द्वारा निर्धारित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) उप घटक 'ब-5' मास्टर वीवर को पारिश्रमिक :-

a) **पारिश्रमिकः-** "डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव" अथवा "डिजाइन हाउस, सोर्सिंग-बायिंग एजेन्सी, एक्सपोर्ट हाउस" द्वारा विकसित डिजाइन के अनुसार हथकरघा पर सैम्पल विकसित करने हेतु तथा हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन हेतु लूम सेटिंग के कार्य के सापेक्ष मास्टर वीवर को पारिश्रमिक रू0 20,000/- तक प्रति माह देय होगा।

b) **मास्टर वीवर का चयन :-** क्लस्टर के सदस्यों द्वारा आम सभा करके मास्टर वीवर का चयन किया जायेगा तथा प्रस्ताव तैयार करके परिक्षेत्रीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा। परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव को "मास्टर वीवर चयन समिति" के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा मास्टर वीवर का चयन अनुप्रयोग (Practical) एवं साक्षात्कार (Interview) के माध्यम से किया जायेगा ।

c) **"मास्टर वीवर नियुक्ति समिति" की सदस्य संरचना :-**

i. परिक्षेत्रीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – अध्यक्ष
ii. उप आयुक्त, बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा नामित तकनीकी प्रतिनिधि - सदस्य
iii. अध्यक्ष, क्लस्टर द्वारा नामित प्रतिनिध – सदस्य
iv. प्रतिनिधि, भारतीय हथकरघा प्रोद्यौगिकी संस्थान, वाराणसी - सदस्य

(16) उप घटक 'ब-6' उत्पाद विकास:-

इस घटक के अंतर्गत डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव /डिजाइन हाउस द्वारा बाजार की आवश्यकता एवं खरीददारों की मांग के आधार पर विकसित डिजाइनों के सापेक्ष सैम्पल एवं उत्पाद विकसित करने हेतु विविध व्ययों के सापेक्ष वित्तीय सहायता देय होगी। यथाः- सूत. रंग-रसायन का क्रय, सर्टिफिकेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट चार्जेस, कोरियर चार्जेस आदि। इस उप घटक के अन्तर्गत उत्पाद विकास से सम्बन्धित विविध व्ययों के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 20 लाख तक की वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। यह वित्तीय सहायता क्लस्टर क्रियान्वयन की 03 वर्षीय अवधि के दौरान, प्रथम वर्ष में रू0 6.66 लाख तक, द्वितीय वर्ष में रू0 6.67 लाख तक एवं तृतीय वर्ष में रू0 6.67 लाख की अधिकतम सीमा तक देय होगी।

(17) उप घटक 'ब-7' प्रशिक्षण:-

a) बाजार की आवश्यकता के अनुरूप नये डिजाइन के वस्त्र निर्मित करने हेतु क्लस्टर के हथकरघा बुनकरों को "समर्थ योजना", "उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों" एवं "उ0प्र0 वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना" के माध्यम से प्रशिक्षण प्रादान कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

b) विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण, जो उपरोक्त योजनाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है, की आवश्यकता होने पर, प्रशिक्षण इस घटक के अन्तर्गत बुनकर सेवा केन्द्र अथवा अन्य उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी ह्रास (wage loss) के कारण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रू0 500/- प्रति दिन की दर से मानदेय अनुमन्य होगा एवं प्रशिक्षक को मानदेय रू0 2000/- देय होगा | इस उप-घटक में कुल धनराशि रू0 2.50 लाख की सीमा तक वित्तीय सहायता, 25 बुनकरों के बैच के 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु देय होगी । योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के व्यय-भार को कम करने के लिए, अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता से बुनकर को प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।

c) अन्य योजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति में, इस घटक के अन्तर्गत परियोजना लागत का आगणन शून्य होगा।

18. उप घटक 'ब-8' "एक्सपोजर विजिट":-

a) क्लस्टर के बुनकरों को वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में नयी जानकारी प्राप्त कराने के लिए अन्य प्रदेशों की एक्सपोजर विजिट करायी जायेगी। इसके साथ ही निर्यातोन्मुखी वस्त्रों के उत्पादन हेतु क्लस्टर के बुनकर सदस्यों को विदेशों में भ्रमण तथा विदेशों में आयोजित वस्त्र कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जायेगा।

b) इस घटक के अन्तर्गत प्रत्येक क्लस्टर के हथकरघा बुनकरों को अधिकतम 03 एक्सपोजर विजिट करायी जायेंगी।

c) एक क्लस्टर की समस्त एक्सपोजर विजिट हेतु कुल वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा रु० 30 लाख होगी।

d) एक्सपोजर विजिट सम्पादित कराने हेतु दूर एवं ट्रैवल एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

19. उप घटक 'ब-9' "वस्त्र उत्पादों का प्रचार-प्रसार"-

हथकरघा क्लस्टर के बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र उत्पादों के विभिन्न माध्यमों (प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स एवं अन्य) से प्रचार-प्रसार हेतु वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि अधिकतम रु० 10.00 लाख प्रति क्लस्टर प्रति वर्ष की दर से 03 वर्षों तक कुल धनराशि रू0 30 लाख तक की सीमा तक देय होगी।

20. उप घटक 'ब-10' कार्यालय अवसंरचना एवं रखरखाव :-

a) इस उपघटक के अंतर्गत क्लस्टर की प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्यालय में कम्प्यूटर सिस्टम, स्टेशनरी, फर्नीचर आदि का क्रय एवं कार्यालय की अवसंरचना तथा कार्यालय के रख-रखाव से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु, कुल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना लागत की अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

b) इस उप घटक के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सहायता क्लस्टर क्रियान्वयन अवधि के प्रथम 03 वर्षों में "कार्यालय अवसंरचना एवं रख-रखाव" में होने वाले वास्तविक व्यय के सापेक्ष देय होगी।

21. प्रति क्लस्टर वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा -

प्रति हैण्डलूम क्लस्टर हेतु वित्तीय सहायता के समस्त घटकों की कुल धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 250.00 लाख होगी।

22 अन्य योजनाओं से डवटेलिंग-

योजनान्तर्गत परियोजना लागत को कम करने के लिए लाभार्थी हथकरघा क्लस्टर के बुनकर सदस्यों को आवश्यकतानुसार अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित कराया जा सकेगा। अन्य योजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति में सम्बन्धित घटकों की धनराशि को इस योजनान्तर्गत परियोजना लागत के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

23. योजना का क्रियान्वयन :-

a) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा हथकरघा बुनकर क्लस्टर को चिन्हित करके बुनकरों के मध्य योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

b) तैयार बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट को परिक्षेत्र स्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर संस्तुति प्राप्त की जायेगी तथा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति से बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

c) अनुमोदित बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डी०पी०आर० निर्माण हेतु मुख्यालय से वित्तीय सहायता की मांग की जायेगी।

d) डी०पी०आर० निर्माण हेतु निविदा के माध्यम से कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

e) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था से डी०पी०आर० निर्मित करायी जायेगी एवं सक्षम समितियों से डी०पी०आर० अनुमोदित कराकर तथा अनुमोदित डी०पी०आर० के आधार पर मुख्यालय से वित्तीय सहायता की मांग की जायेगी।

f) मुख्यालय स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

g) शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर, वित्तीय सहायता की धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु प्रस्तर-25 में वर्णित व्यवस्थानुसार, कोषागार से आहरित की जायेगी।

h) क्लस्टर क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण परिक्षेत्र स्तर पर "परिक्षेत्र स्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति" द्वारा तथा मुख्यालय स्तर पर "राज्य स्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति" द्वारा किया जायेगा।

24. अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के सापेक्ष वित्तीय सहायता की धनराशि का कोषागार से आहरण :-

योजनान्तर्गत अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के सापेक्ष वित्तीय सहायता की धनराशि निदेशालय द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार सम्बन्धित के पक्ष में कोषागार से आहरित की जायेगी :-

क्र0सं0	घटक का नाम	धनराशि का आहरण
अ-1	योजना का प्रचार-प्रसार एवं बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्माण	सम्बन्धित फर्मों के पक्ष में।
अ-2	परियोजना रिपोर्ट का निर्माण	कार्यदायी संस्था के पक्ष में।
अ-3	योजनान्तर्गत सलाहकारों की नियुक्ति	कार्यदायी संस्था के पक्ष में।
अ-4	ऑनलाइन क्रियान्वयन	कार्यदायी संस्था के पक्ष में।
ब-1	हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति	आपूर्तिकर्ता फर्म के पक्ष में
ब-2	कार्यशाला निर्माण	• बुनकर सदस्यों के पक्ष में (दो समान किश्तों में) कार्यशाला निर्माण हेतु सम्बन्धित बुनकर सदस्य के पक्ष में अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि आहरित की जायेगी।
ब-3	क्लस्टर सचिव को पारिश्रमिक	क्लस्टर सचिव के पक्ष में (मासिक किश्तों में)
ब-4	डिजाइन विकास	डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के पक्ष में। (मासिक किश्तों में) डिजाइन हाउस/ सोर्सिंग-बायिंग एजेन्सी/एक्सपोर्ट हाउस के पक्ष में। (अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के आधार पर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ब-5	मास्टर वीवर को पारिश्रमिक	मास्टर वीवर के पक्ष में (मासिक किश्तों में)
ब-6	प्रशिक्षण	सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी के पक्ष में मानदेय की धनराशि तथा प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के पक्ष में सेवा-शुल्क की धनराशि।
ब-7	एक्सपोजर विजिट	सम्बन्धित टूर एवं टैवल एजेन्सी के पक्ष में।
ब-8	क्लस्टर के उत्पादों का प्रचार-प्रसार	सम्बन्धित फर्मों के पक्ष में।
ब-9	कार्यालय अवसंरचना एवं रखरखाव	यथा-व्यय के अनुसार सम्बन्धित के पक्ष में।
ब-10	उत्पाद विकास	सम्बन्धित फर्मों के पक्ष में।

(25) योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन की समय-सीमा :-

योजनान्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सहायता के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन निम्नवत् समय-सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा :-

क्र0सं0	**घटक का नाम**	**समय-सीमा**
अ-1	योजना का प्रचार-प्रसार एवं बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्माण	योजना अवधि
अ-2	परियोजना रिपोर्ट का निर्माण	कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 02 माह
अ-3	योजनान्तर्गत सलाहकारों की नियुक्ति	योजना प्रख्यापित होने की तिथि से 03 माह
अ-4	ऑनलाइन क्रियान्वयन के अंतर्गत वेबपोर्टल का निर्माण	वेबपोर्टल निर्मित कर योजना का ऑनलाइन क्रियान्वयन प्रारम्भ करना-कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 03 माह
ब-1	हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति	कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 02 माह
ब-2	कार्यशाला निर्माण	• प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने की समय-सीमा - 02 माह • द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने की समय-सीमा - 02 माह
ब-3	क्लस्टर सचिव को पारिश्रमिक	क्लस्टर सचिव की नियुक्ति - परियोजनान्तर्गत पूर्ण/ आंशिक संख्या में कार्यशाला का निर्माण, करघों का क्रय के फलस्वरूप वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह पूर्व।
ब-4	डिजाइन विकास	• डिजाइनर-कम-मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		नियुक्ति-वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह पूर्व। • डिजाइन हाउस/सोर्सिंग-बायिंग एजेन्सी/ एक्सपोर्ट हाउस की नियुक्ति-वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह पूर्व।
ब-5	मास्टर वीवर	मास्टर वीवर की नियुक्ति-व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह पूर्व।
ब-6	प्रशिक्षण	परियोजना क्रियान्वयन अवधि के प्रथम 03 वर्षो के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकतानुसार।
ब-7	एक्सपोजर विजिट	परियोजना क्रियान्वयन अवधि के प्रथम 03 वर्षो के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकतानुसार।
ब-8	क्लस्टर के उत्पादों का प्रचार-प्रसार	परियोजना क्रियान्वयन अवधि के प्रथम 03 वर्षो के अन्तर्गत।
ब-9	कार्यालय अवसंरचना एवं रखरखाव	परियोजना क्रियान्वयन अवधि के प्रथम 03 वर्षो के अन्तर्गत।
ब-10	उत्पाद विकास	परियोजना क्रियान्वयन अवधि के प्रथम 03 वर्षो के अन्तर्गत।

(26) अनुश्रवण समितियां:- योजनान्तर्गत विकसित होने वाले हथकरघा क्लस्टरों के विकास कार्यो की प्रगति के अनुश्रवण हेतु परिक्षेत्र एवं निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित समितियां होंगी।

a) **परिक्षेत्र स्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति:-** परिक्षेत्र स्तर पर योजना की प्रगति के अनुश्रवण हेतु "परिक्षेत्र स्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति" में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

i. परिक्षेत्रीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, - **अध्यक्ष**

ii. उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा नामित तकनीकी प्रतिनिधि - **सदस्य**

अथवा

सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि0 अथवा नामित प्रतिनिधि -**सदस्य**

अथवा

अन्य किसी समकक्ष तकनीकी संस्था द्वारा नामित तकनीकी प्रतिनिधि - **सदस्य**

iii. बुनकर प्रतिनिधि -
सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

iv. **अन्य सदस्य**, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा आमन्त्रित किया जाये।

b) **राज्य स्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति:-** निदेशालय स्तर पर योजना की प्रगति का अनुश्रवण हेतु "राज्य स्तरीय क्लस्टर अनुश्रवण समिति" में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

i. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 – **अध्यक्ष**

ii. निदेशक, राश्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा नामित प्रतिनिधि – **सदस्य**

iii. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर अथवा नामित प्रतिनिधि – **सदस्य**

iv. प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर अथवा नामित प्रतिनिधि – **सदस्य**

v. उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र अथवा नामित तकनीकी प्रतिनिधि – **सदस्य**

vi. वरिष्ठ प्रबन्धक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि0 अथवा नामित प्रतिनिधि – **सदस्य**

vii. शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समिति का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित बुनकर प्रतिनिधि **- सदस्य**

viii. अन्य सदस्य, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा आमन्त्रित किया जाये।

(27) योजनान्तर्गत विभिन्न नियमों एवं प्रारूपों का निर्माण: विभिन्न परिस्थितियों में योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार सूचनाओं हेतु प्रारूपों का निर्माण, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(28) समय-समय पर आवश्यकतानुसार योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक-1

S.No.	Item	Total cost (upto Rs.)
1	a) Pneumatic jacquard system for a set of 2 Handloom	43,750/-
	b) Pneumatic jacquard system for a set of 4 Handloom	62,500/-
2	a) Motorized lifting device for jacquard (Single lever)	22,500/-
	b) Motorized lifting device for jacquard (Two lever)	26,250/-
	c) Motorized lifting device for jacquard (Three lever)	28,750/-
3	Take-up & let of motions on the existing handloom (including fitting charges)	8,750/-
4	Multiple box motion device	5,625/-
5	Multiple buti (spot motif) weaving sley (09 buti, 50" working space, 60" reed space)	11,875/-
6	a) Twin cloth weaving upto 66" (including fitting charges)	8,750/-
	b) Twin cloth weaving mechanism upto 72" (including fitting charges)	11,250/-
7	Jacquard	
	a) Complete set of jacquard (upto 120 hooks)	18,750/-
	b) Complete set of jacquard (above 120 hooks to 240 hooks)	27,500/-
	c) Complete set of jacquard (above 240 hooks)	43,750/-
8	Dobby with complete set (upto 32 lever)	8,750/-
9	Loom Accessories: Set of heald, reed, bobbin, shuttle, charkha etc.	7,500/-
10	a) Frame Loom- upto 56" Reed Space	37,500/-
	b) Frame loom- 60" Reed Space	40,000/-
	c) Frame loom- 66" Reed Space	45,000/-
	d) Frame loom-72" Reed Space	56,250/-
	e) Frame loom-96"/102" Reed Space	71,250/-
11	a) Pit Loom – 56" (alongwith reed, heald)	37,500/-
	b) Pit loom- 60" (alongwith reed, heald)	40,000/-
12	a) Frame Loom (Iron)- upto 56" Reed Space (alongwith reed, heald)	32,500/-
	b) Frame loom(Iron)- 60" Reed Space (alongwith reed, heald)	40,000/-
	c) Frame loom(Iron)- 66" Reed Space (alongwith reed, heald)	43,750/-
	d) Frame loom(Iron)-72" Reed Space (alongwith reed, heald)	47,500/-
	e) Frame loom(Iron)-96"/102" Reed Space (alongwith reed, heald)	56,250/-
13	a) Loin loom (Conventional) (alongwith reed, heald)	6,250/-
	b) Modified loin loom (Arunachal Pradesh type)	12,500/-
14	a) Pashmina loom up to 60" (with accessories) for Jammu & Kashmir	28,750/-
	b) Pshmina loom above 60" (with accessories) for Jammu & Kashmir	32,500/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	a) Asu Machine (manually operated)	12,500/-
	b) Asu Machine (motorized)	37,500/-
16	Warp beam & cloth beam	
	a) Warp beam (5” dia) for 56” loom	6,250/-
	b) Cloth Beam (4” dia) for 56” loom	4,375/-
	c) warp Beam (5” dia) for 60”-66” loom	6,625/-
	d) Cloth Beam (4” dia) for 60”-66” loom	5,000/-
	e) Warp beam (5” dia) for 72” loom	7,500/-
	f) Cloth Beam (4” dia) for 72” loom	5,625/-
	g) Warp beam (6” dia) for 96” /102”loom	14,375/-
	h) Cloth Beam (5” dia) for 96” /102”loom	10,375/-
17	a) warping machine-72”	37,500/-
	b) Warping machine (Cast iron wheel)-72”	46,250/-
18	Motorized Warping machine	75,000/-
19	a) Motorized Pirn winding machine	5,000/-
	b) Motorized Pirn-cum-bobbin/dubba winding machine	6,250/-
20	Street Sizing kit (brush, Sticks, sparay gun etc.)	12,500/-
21	Electronic Jacquard with motorized lifting device	3,75,000/-
22	a) Chittaranjan Loom-56” RS	41,250/-
	b) Chittaranjan Loom-60” RS	43,150/-
23	a) Korvai weaving sley attachment (Aluminium)	12,500/-
	b) Korvai weaving sley attachment (Stainless steel)	17,500/-
24	a) Silk Reeling and Twisting Machine-2 spindles (Electric powered)	33,125/-
	b) Silk Reeling and Twisting Machine-2 spindles (Solar and Electric powered)	41,875/-
	c) Silk Reeling and Twisting Machine-4 spindles (Electric powered)	40,000/-
	d) Silk Reeling and Twisting Machine-4 spindles (Solar and Electric powered)	66,000/-
25	a) Solar power operated winding machine (including solar power system)	6,250/-
	b) Solar power system for operating Jacquard lifting mechanism for manual jacquard	1,05,000/-
	c) Solar power system for operating electronic jacquard	1,05,000/-
	d) Solar power system for operating Warping machine	1,13,750/-
26	Jacquard Card computerized Punching Machine (including computer and other hardware, software and accessories)	4,37,500/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-2'अ'

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजनान्तर्गत

बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रारूप-2'अ'

फोटो

1. परिक्षेत्र का नाम : .....
2. जनपद का नाम : .....
3. चिन्हित हथकरघा क्लस्टर का नाम : .....
4. बुनकर का नाम : .....
5. आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) : .....
6. बुनकर ई-पहचान-पत्र संख्या .....
7. पिता/पति का नाम : .....
8. पता : .....
9. पुरूष/महिला : .....
10. जन्म तिथि ..... आयु : .....
11. जाति (अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/ई0डब्ल्यू0एस0/सामान्य) : .....
12. क्या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं ? (हाँ/नहीं) : .....
13. दिव्यांगता (हाँ/नहीं) : .....
14. हथकरघा स्वामित्व की स्थिति (हाँ/नहीं) : .....
15. हथकरघा वस्त्र उत्पादन की स्थिति
    - i. स्वयं के हथकरघा पर : .....
    - ii. दूसरों के हथकरघा पर मजदूरी पर : .....
16. उत्पादित वस्त्र का प्रकार : .....
17. उत्पादित वस्त्र की मात्रा (मी0 में) : .....
18. वार्षिक आय
    - i. हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन से अर्जित आय : रू0 .....
    - ii. अन्य साधनों से अर्जित आय : रू0 .....
19. बैंक खाते का विवरण :
    - i. खाता संख्या :.....
    - ii. आई0एफ0एस0सी0 कोड : .....
    - iii. बैंक का नाम : .....
    - iv. शाखा का नाम : .....
20. कच्चा माल क्रय करने की स्थिति :-
    - i. धागा कहाँ से क्रय किया जाता है ? : .....
    - ii. रंग-रसायन कहाँ-कहाँ से क्रय किया जाता है ? : .....
21. तैयार माल कहाँ-कहाँ पर बेचा जाता है ? : .....
22. व्यवसायिक गतिविधियाँ किसे माध्यम से जाती हैं ?
    - i. बैंक एकाउन्ट/नगद/दोनों माध्यम से : .....
    - ii. अभिलेखीय साक्ष्य हेतु क्या नगद माध्यम से सम्पादित व्यवसायिक गतिविधियों की धनराशि को बैंक में जमा/ बैंक से निकासी की जाती है?.....

दिनांक : हस्ताक्षर

बुनकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-2'ब'

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजनान्तर्गत
बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रारूप-2'ब'

1. परिक्षेत्र का नाम :-
2. जनपद का नाम :
3. चिन्हित हथकरघा क्लस्टर का नाम :-
4. हथकरघा क्लस्टर में बुनकरों की कुल संख्या :-
5. सामाजिक स्तर
   - i. पुरूष बुनकरों की संख्या : .....
   - ii. महिला बुनकरो की संख्या : .....
   - iii. अनसूचित जाति के बुनकरों की संख्या : .....
   - iv. अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों की संख्या : .....
   - v. ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के बुनकरों की संख्या : .....
   - vi. सामान्य वर्ग के बुनकरों की संख्या : .....
   - vii. अल्पसंख्यक वर्ग के बुनकरों की संख्या : .....
   - viii. दिव्यांग बुनकरों की संख्या : .....
6. उत्पादन क्षमता, उपकरण एवं तकनीकी स्थिति का मूल्यांकन
   - i. कितने बुनकरों के बुनकरों के पास हथकरघे हैं ? : .....
   - ii. कितने बुनकरों को नये हथकरघा एवं सहवर्ती उपकरणों की आवश्यकता है ?: .....
   - iii. कितने बुनकर स्वयं के हथकरघा पर उत्पादन कर रहे हैं ? : .....
   - iv. कितने बुनकर मजदूरी पर हथकरघा वस्त्रोत्पादन कर रहें हैं ? : .....
   - v. उत्पादित वस्त्रों की किस्म ? : .....
   - vi. उत्पादित वस्त्रों की कुल मात्रा ..... मी0
7. हथकरघा पर वस्त्र उत्पादन के साथ-साथ अन्य साधनों से आजीविकोपार्जन करने वाले हथकरघा बुनकरों की संख्या : .....
8. वार्षिक आय
   - i. समस्त बुनकरों की कुल वार्षिक आय
     - a. हथकरघा व्यवसाय से : .....
     - b. अन्य व्यवसाय से : .....
   - ii. प्रति बुनकर औसत वार्षिक आय
     - a. हथकरघा व्यवसाय से : .....
     - b. अन्य व्यवसाय से : .....

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक	वस्त्र/निरीक्षक	सहायक आयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-3

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजनान्तर्गत
डी0पी0आर0 तैयार कराने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

उप आयुक्त/सहायक आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
परिक्षेत्र-.....

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि :-

- बाजार की प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने हेतु हथकरघा वस्त्र के क्षेत्र में सामूहिक एवं प्रभावी उत्पादन प्रणाली विकसित करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार हथकरघा बुनकरों का एक समूह/क्लस्टर गठित किया गया है :-

जनपद	तहसील	ब्लाक	ग्राम/मोहल्ला	हथकरघा बुनकरों की संख्या

- उपर्युक्त हथकरघा क्लस्टर की व्यवसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियाँ अधोलिखित वस्त्र इकाई/फर्म/समिति द्वारा सम्पादित की जायेंगी :-

प्रकार (इकाई/ फर्म/ समिति)	नाम व पता	पंजीकरण संख्या/ उद्यम आधार संख्या	पैन नम्बर	जी0एस0टी0 नम्बर	बैंक खाते का विवरण
		(संलग्न)	(संलग्न)	(संलग्न)	(संलग्न)

उपर्युक्त हथकरघा क्लस्टर को "मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना" से आच्छादित कराने हेतु योजनान्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्मित कराने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र एतद्द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

दिनांक :

प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता
आवेदक
(इकाई/फर्म/समिति)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-4

प्रारूप-अग्र भाग

Logo GoUP

उ0प्र0 बुनकर ई-पहचान पत्र

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
(https://handloom.uposdc.gov.in)

संख्या
XXXXX XXXX

नाम:
पिता/पति का नाम
पुरूष/महिला:
जन्म तिथि:
पता:

हथकरघा बुनकर/पावरलूम बुनकर:
स्वामित्व में करघों की संख्या:
बुनाई की स्थिति: (स्वयं के करघे पर/दूसरों के करघे पर)
मोबाइल नं0:

Photo

QR code

प्रारूप-पश्च भाग

Logo GoUP

U.P. Weaver e-Identity Card

Directorate of Handloom & Textiles, U.P., Kanpur
(https://handloom.uposdc.gov.in)

No.
XXXXXX XXXX

Name :
Father's/ Husband Name :
Male/ Female:
Date of Birth :
Address :

Handloom/Powerlooom Weaver :
Number of Looms in the Possession :
Status of Weaving : (on owned looms/on the looms of others)
Mobile No:

Photo

QR code

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।